

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

संकल्प

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के निदेशक पर्षद के गठन से संबंधित गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के संकल्प संख्या-2547, दिनांक-01.04.2016 को संशोधित करते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम प्रा0 लि0, पटना के आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-46(1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के निदेशक पर्षद का पुर्नगठन निम्न रूप से किया जाता है:-

1. श्री अभय कुमार उपाध्याय, भा0पु0से0  
पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना अध्यक्ष
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी,  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना सदस्य
3. श्री रंजन कुमार सिन्हा,  
अपर सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार,  
गृह विभाग (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में) सदस्य
4. श्री बीरेन्द्र कुमार,  
मुख्य अभियंता (नागरिक),  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सदस्य
5. डॉ0 अमित कुमार जैन, भा0पु0से0,  
पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण),  
बिहार, पटना सदस्य

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय तथा उसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-6/भ0नि0-01-014/2008...../पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. अनुरोध है कि इसकी 100 प्रतियाँ गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को भेजने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-6/भ0नि0-01-014/2008...../पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को उनके पत्र सं0-CS-26/2016, दिनांक 24.09.2016 के प्रसंग में/पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को उनके पत्रांक-8645/एक्स0पी0, दिनांक 02.12.2016 के प्रसंग में/पुर्नगठित निदेशक पर्षद के सभी सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-6/भ0नि0-01-014/2008...../पटना, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/12/16

सरकार के अवर सचिव